

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

क.:एफ.28( )परावि/प्रशा.2/पप्रअ-घड़साना/अनु.कार्य./2019/4246 जयपुर, दिनांक:21-11-19

**:: आदेश ::**

श्री बलवीर सिंह, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति घड़साना (श्रीगंगानगर) को निलम्बित करने के लिए जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर द्वारा जारी आदेश क्रमांक 2690-944 दिनांक 04.11.2019 की एतद् द्वारा पुष्टि की जाती है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,

(अनुप्रेरणा सिंह कुन्तल)  
संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक महोदय, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर को उनके आदेश क्रमांक 2690-94 दिनांक 04.11.2019 के क्रम में।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद श्रीगंगानगर।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति घड़साना को प्रेषित कर लेख है कि श्री बलवीर सिंह के निलम्बन आदेश/पुष्टि आदेश का इन्द्राज इनकी सेवापुस्तिका में लाल स्याही से कर प्रमाणित प्रति विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
5. श्री बलवीर सिंह, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति घड़साना (निलम्बित) हॉल मुख्यालय जिला परिषद श्रीगंगानगर।
6. ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. आदेश पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त